तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-7-25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। प्रकरण में उभय पक्षो की बहस सुनी जा चुकी है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 05–04–2023 का है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील पेश करते समय अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति पेश नही की तथा न्यायालय से अपीलाधीन आदेश की प्रति पेश करने का समय चाहा था। अभिभाषक अपीलांट द्वारा दिनांक 17–07–2023 को अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर ली गई थी इसके उपरान्त भी न्यायालय में प्रस्तुत नही किया गया है। रेवेन्यु कोर्ट मेन्युअल नियम 30 के प्रावधान बाध्यकारी है। मियाद अवधि भी समाप्त हो चुकी है। अपील स्पष्टतः मियाद बाहर है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1993 पेज संख्या 814 शंकरलाल बनाम उम्मेद सिंह प्रस्तुत कर कथन किये कि प्रकरण में नियम 17 के प्रावधान लागू नही होते है, 60 दिवस के पश्चात् अपील चलने योग्य नही है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1980 पेज संख्या 228 (भैरूलाल बनाम दानमल, राजस्व मण्डल) प्रस्तुत किया। जवाब बहस में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करते समय धारा 79 एलआर एक्ट व रेवेन्यु कोर्ट मैन्युअल के तहत Dispense with का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। एक बार प्रकरण दर्ज होने पर उसे खारिज नही किया जा सकता है। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1981 पेज संख्या 351 प्रस्तुत कर कथन किये कि अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का यह एतराज निरस्त करते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर सुना जावे। उभय पक्षो की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 05–04–2023 का है। हस्तगत अपील पेश करते समय अभिभाषक अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि पीठासीन अधिकारी ट्रेनिग में होने के कारण अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित नकल के अभाव में अपील पेश की जा रही है। प्रमाणित नकल प्राप्त होने पर बिना किसी विलम्ब के न्यायालय में प्रस्तुत कर दी जाएगी। प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया था जिस पर न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 14–07–2023 द्वारा आगामी पेशी दिनांक 18–08–2023 तक अपीलाधीन आदेश प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये थे। अभिभाषक अपीलांट द्वारा वर्तमान में प्रस्तुत अपीलाधीन आदेश की नकल के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अभिभाषक अपीलांट द्वारा दिनांक 17–07–2023 को अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त	

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कर ली गई थी। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत सशपथ Dispense with के प्रार्थना पत्र में नकल प्राप्त होते ही अविलम्ब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के कथन किए गये थे साथ ही न्यायालय द्वारा भी दिनांक 18–08–2023 तक अपीलाधीन आदेश की नकल प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु अभिभाषक अपीलांट द्वारा यह नकल अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा एतराज उठाये जाने के पश्चात् नकल प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार नकल प्राप्ति के लगभग 2 वर्ष तक यह नकल न्यायालय में प्रस्तुत नही की गई। नकल प्रस्तुत करने में हुए विलंब के संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा कोई भी संतोषप्रद कारण नही बताया गया है जिससे न्यायालय को यह समाधान हो कि नकल पेश करने की परिस्थितियां अपीलांट के नियंत्रण से बाहर थी। रेवेन्यु कोर्ट मेन्युअल पार्ट–द्वितीय के नियम 30 के अनुसार अपील पेश करते समय डिक्री या आदेश की प्रति साथ में लगाया जाना आवश्यक है साथ ही रेवेन्यु कोर्ट मेन्युअल पार्ट–द्वितीय के नियम 46 के अनुसार " **त्रुटिपूर्ण आवेदन–पत्र अथवा अपील का ज्ञापन अथवा आपत्ति स्वीकार नही की जाये– कोई भी आवेदन अथवा अपील का ज्ञापन अथवा आपत्ति नही ली जावेगी यदि ये विहित प्रारूप में नही है अथवा इसके साथ आवश्यक दस्तावेज नही लगे हुए है।**

परन्तु यदि न्यायालय इसे ले सकता है तथा पर्याप्त कारण बतलाये जाने पर ऐसा समय स्वीकार कर सकता है जिसे वह ऐसे दस्तावेज को प्रस्तुत करने अथवा ऐसी त्रुटियों को दूर करने के लिए उचित समझे।

परन्तु यह भी प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत कुछ भी किया गया अपील के ज्ञापन के मामले में सीमा अवधि बढाये जाने को प्रभावित नही रकेगा, जहां निर्णय अथवा डिकी अथवा औपचारिक आदेश की प्रति निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत नही की जाती है।

यदि न्यायालय द्वारा अनुज्ञप्त समय के भीतर वांछित दस्तावेज नही दिये जाते है अथवा त्रुटियां दूर नहीं की जाती है, आवेदन पत्र अथवा अपील का ज्ञापन नामंजूर कर दिया जायेगा।"

नियम 46 में स्पष्टतः प्रावधान है कि यदि न्यायालय द्वारा अनुज्ञप्त समय के भीतर वांछित दस्तावेज पेश नही कर पाते है तो अपील का ज्ञापन नामंजूर कर दिया जाएगा। प्रकरण हाजा में न्यायालय हाजा द्वारा आदेशिका दिनांक 14–07–2023 से अधिवक्ता को दिनांक 18–08–2023 तक अपीलाधीन आदेश पेश करने का समय प्रदान किया गया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा दिनांक 17–07–2023 को नकल प्राप्त करने के उपरान्त भी न्यायालय के आदेश की पालना नही की गई।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा रेवेन्यु कोर्ट मैन्युअल के नियम 17 का हवाला दिया गया। अतः नियम 17 पर विचारण करना आवश्यक है। नियम 17 के तहत " अपील के ज्ञापन अथवा निगरानी के प्रार्थना पत्र के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज– अपील के प्रत्येक ज्ञापन अथवा निगरानी के आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगाए जायेगे–

(क) डिक्री अथवा आदेश की प्रति जिसके विरूद्ध अपील या प्रार्थना पत्र निदेशित किया गया।

(ख) निर्णय की प्रति जिस पर ऐसी डिक्री या आदेश आधारित है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(ग) प्रथम न्यायालय के निर्णय की प्रति जब अपीलीय आदेश या डिक्री के विरूद्ध अपील या प्रार्थना–पत्र निदेशित किया गया हो।

(घ) अपील के ज्ञापन के मामले में मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है, भारतीय अवधिता अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत मियाद की अवधि की वृद्धि के लिए हलफनामा द्वारा समर्थित प्रार्थना–पत्र।

परन्तु यह कि न्यायालय, दर्शाये गये पर्याप्त कारणों से खण्ड (क) के अन्तर्गत औपचारिक आदेश की प्रति तथा खण्ड (ख) या (ग) के अन्तर्गत निर्णय की प्रति अलग(Dispense with) कर सकेगा।

रेवेन्यु कोर्ट मैन्युअल पार्ट–1 नियम 17 के तहत अभिभाषक अपीलांट Dispense with का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकेगा परन्तु इसके लिए पर्याप्त कारण बताने होगे। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील के साथ में का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा अभिभाषक अपीलांट को एक माह से अधिक समय का अवसर दिया जा चुका था साथ ही अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश की नकल भी प्राप्त कर ली गई थी उसके उपरान्त लगभग 10 तारीख पेशियां एवं 2 वर्ष तक अपीलाधीन आदेश की प्रति प्रस्तुत नही की गई। अपील प्रस्तुत करने की अवधि अपीलाधीन आदेश की दिनांक से मानी जाती है। अभिभाषक अपीलांट यदि अपील प्रस्तुत करने की समयावधि में अपीलाधीन आदेश की प्रति प्रस्तुत नही करता है तो उसे देरी का समुचित कारण बताना होगा।

प्रकरण हाजा में अपीलांट द्वारा नकल प्राप्ति दिनांक 17–07–2023 से 2 वर्ष तक अपीलाधीन आदेश प्रस्तुत नही करने का कोई समुचित कारण नही बताया है। अतः अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत यहा चस्पा नही होता है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1993 पेज संख्या 814, आरआरडी 1980 पेज संख्या 228 में यह अवधारित किया गया है कि

"That provision of rule 30 Revenue Courts Manual Part II is mandatory and failure to submit the copy of the order of the court of first instance is not a curable defect and is fatal for the case and cannot be rectified in the interest of justice by the court if it so deems fit"

अतः उक्त न्यायिक दृष्टांतो के आलोक में अपील अपीलांट सीमाअवधि के प्रश्न पर ही खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर